भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्यसभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*110
बुधवार,13फरवरी,2019/24माघ,1940 (शक)

शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन

*110. श्री पि॰ भट्टाचार्यः

क्या श्रम औररोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप सेशहरी-क्षेत्रों में कुशल/कम-कुशल कामगारों केलिए रोजगार सृजन हेतु कौशल विकास केअलावा ऐसे और कोई उपाय किए हैं जिनसे देशके अधिशेष श्रमिकों को उनके लिए सर्वाधिकउपयुक्त रोजगारों में समायोजित किया जा सकेएवं पुनः कार्य आबंटित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क)एवं(ख): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

संसद सदस्य श्री पि॰ भट्टाचार्य द्वारा शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के बारे में पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *110 के दिनांक 13.02.2019 को दिए जाने वाले उत्तर के भाग (क) एवं (ख) में संदर्भित विवरण।

(क) एवं (ख):आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय शहरी निर्धन परिवारों की निर्धनता एवं अरक्षितता को कम करने के लिए सांविधिक शहरों मेंएक केंद्र-प्रायोजित योजना, अर्थात "दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन" (डीएवाई-एनयूएलएम) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिससे धारणीय आधार पर उनकी आजीविका में सुधार हेतु लाभप्रद स्व-रोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार अवसरों तक उनकी पहुंच बन सके। कौशल विकास के अतिरिक्त डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत कुछ अन्य घटक निम्नानुसार हैं:

(i) सामाजिक संघटन एवं संस्था विकास (एसएमएंडआईडी): इस घटक में शहरी निर्धनों को स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) तथा उनके संघों के रूप में सार्वभौमिक सामाजिक संघटन की परिकल्पना की गई है। स्व-सहायता समूहों में 10 से 20 सदस्य शामिल हो सकते हैं। ये समूह निर्धनों की वित्तीय एवं सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उनके लिए सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। सामान्य रूप से, महिला स्व-सहायता समूहों को बनाया जाना है, तथापि, अन्यथा-सक्षम व्यक्तियों अथवा असुरक्षित व्यवसायों में लगे व्यक्तियों, जैसे कूड़ा बीनने वाले, सफाई कामगार आदि के पुरूष स्व-सहायता समूहोंकोभी संघटित किए जाने की अनुमति है। प्रति एसएचजी 10,000 रु. की धनराशि,इसके संघटन, संचालन, सदस्यों के प्रशिक्षण, बैंक लिंकेज, संघ के निर्माण तथा अन्य संबंधित कार्यकलापों हेतु खर्च की जा सकती है।

(ii) स्व-रोजगार कार्यक्रम (एसईपी):यह घटक शहरी निर्धनों से संबंधित व्यक्तियों/समूहों/स्व-सहायता समूहों को लाभप्रद स्व-रोजगार उपक्रमों अथवा सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता पर बल देता है। व्यक्ति/समूह सूक्ष्म-उद्यमों हेतु संस्वीकृत बैंक ऋणों पर 7% से अधिक की ब्याज दरों पर ब्याज संबंधी सरकारी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, ऋणों के समय पर भुगतान करने पर महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को 3% की अतिरिक्त ब्याज संबधी सरकारी सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) शहरी फेरीवालों (एसयूएसवी) को सहायता: यह घटक सर्वेक्षण को आसान बनाकर, प्रमाण-पत्रों एवं पहचान पत्रों को जारी करके, बिक्री मण्डलों हेतु आवश्यक शारीरिक अवसंरचना का सृजन करके, विक्रेता-पूर्व शहरी आयोजना तथा उभरते हुए बाजार अवसरों तक शहरी गली-विक्रेताओं तक पहुंच हेतु कौशल का प्रावधान करके शहरी निर्धन गली-विक्रेताओं की आजीविका समस्याओं का समाधान करता है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओंकोप्रोत्साहितकरनेकेउद्देश्य सेप्रधानमंत्रीरोजगारप्रोत्साहनयोजना(पीएमआरपीवाई) 9 अगस्त, 2016 को आरंभकीगईथी।इसयोजनाकेतहत, भारत सरकारईपीएफओ के माध्यम सेनएकर्मचारियोंहेतुईपीएफएवंईपीएस दोनोंकेलिएतीनवर्षों हेतुनियोक्ताकेसंपूर्णअंशदानअर्थात् 12% (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य)काभुगतानकररहीहै। योजना 15,000/- रुपए प्रति माह तक अर्जित करने वाले कर्मचारियों हेतु लक्षित है। 4 फरवरी, 2019 तक, 1.06 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने वाले 1.31 लाख प्रतिष्ठानों को लाभ प्रदान किए गए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा उनका विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक कागैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 25 जनवरी, 2019 तक कुल 15.59 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए हैं।

*****